

समक्ष

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

गणपूर्ति

श्री वी०जे०तालवाड़

अध्यक्ष

श्री आनंद कुमार

सदस्य

आदेश दिनांक : 02.07.2010

आदेश

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 तथा इस निमित्त समर्थकारी प्राविधानों के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निम्न विनियमों को इनकी वर्तमान अवधि से 30.09.2010 तक के लिए विस्तारित करता है, यदि आयोग द्वारा इनका पहले पुनरावलोकन या विस्तार नहीं किया जाता:

क्र०सं०	विनियम का नाम
1.	उविनिआ (जल विद्युत उत्पादन की दर के अवधारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2004
2.	उविनिआ (वितरण दर अवधारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2004
3.	उविनिआ (पारेषण दर के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2004

ह० / —
(आनंद कुमार)
सदस्य

ह० / —
(वी०जे०तालवाड़)
अध्यक्ष